**आदेश 39, नियम 1 एवं 2 तथा धारा 151 सि. प्र. सं. के अधीन आवेदन पत्र का प्रतिवादी का उत्तर**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

के मामले में.............

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीख……………….

श्रीमान जी,

प्रतिवादीगण निम्नलिखित रूप में अति सादर पूर्वक निवेदन करते हैं

1. यह कि आवेदन पत्र के पैरा 1 के उत्तर में इस बात का प्रत्याख्यान किया जाता है कि वादी ने एक मिथ्या तुच्छ वाद इस न्यायालय में दाखिल किया है। यह भी निवेदन किया जाता है कि वादपत्र में किये गये अभिकथन पूर्णतः मिथ्या, निराधार असत्य एवम् मनगढंत है। प्रतिवादीगण लिखित कथन इसके साथ दाखिल कर रहे हैं। उसका ही इस उत्तर के भाग के रूप में पढ़ा जा सकेगा जो सही तथ्यों को प्रदर्शित करता है।
2. आवेदन पत्र का पैरा 2 गलत है और इसका प्रत्याख्यान किया जाता है।
3. आवेदन पत्र के पैरा 3 का प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है।
4. आवेदन पत्र का पैरा 4 गलत है और इसका प्रत्याख्यान किया जाता है। वादी के वाद की मात्र इसलिए डिक्री नही कि जा सकती है क्योंकि प्रतिवादी पारित की गयी डिक्री के अधीन कब्जा ग्रहण करेंगे और जिसके लिए निष्पादन...................की न्यायालय में लम्बित है।
5. आवेदन पत्र का पैरा 5 गलत है और इसका प्रत्याख्यान किया जाता है। इसका प्रत्याख्यान किया जाता है कि प्रत्यर्थी कब्जा हेतु हकदार नहीं है क्योंकि डिक्री जो...................की न्यायालय में लम्बित निष्पादन की विषयवस्तु है, वाद सं................. में................... की आदरणीय न्यायालय पर तथा वादी के साथ कपट करके प्रत्यर्थी सं. 2 लगायत 8 के पिता तथा प्रत्यर्थी सं09 के पति द्वारा प्राप्त की गयी थी और न्यायहित में कथित निष्पादन को स्थगित कर दिये जाने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे किसी भी स्थगन को मंजूर नही किया जा सकता है।
6. आवेदन पत्र का पैरा 6 गलत है और इसका प्रत्याख्यान किया जाता है। इस बात का प्रत्याख्यान किया जाता है कि यदि प्रत्यर्थी कथित डिक्री के निष्पादन में वाद सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने में सफल होगा तब आवेदक की अपूर्णनीय हानि एवम क्षति होगी जिसका प्रतिकर धन के निबन्धन में नही दिया जा सकता है। वास्तव में प्रतिवादी की ही उस दशा में अपूर्णनीय हानि एवम् क्षति होगी यदि डिक्री का निष्पादन स्थगित कर दिया जाता है।
7. आवेदन पत्र का पैरा 7 गलत है और इसका प्रत्याख्यान किया जाता है। वादी का कोई ऐसा मामला नहीं है जिसको प्रथम दृष्ट्या अच्छा कहा जाय। सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नहीं है बल्कि प्रतिवादियों के पक्ष में है।
8. आवेदन पत्र का पैरा 8 गलत है और इसका प्रत्याख्यान किया जाता है।

**प्रार्थना**

प्रार्थना का प्रत्याख्यान किया जाता है आवेदन पत्र मिथ्या, तुच्छ एवम् तंग करने वाला, भ्रमात्मक है और कानूनी तौर पर पोषणीय नही है। वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय नहीं आया है और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है। अन्यथा भी कोई अनुतोष वादी को प्रदान नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसका विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 41 (ख) के अधीन वर्जन किया जाता है। प्रस्तुत आवेदन पत्र खर्च सहित खारिज कर दिये जाने योग्य है। अतएव यह प्रार्थना की जाती है प्रस्तुत आवेदन पत्र खर्चे सहित खारिज कर दिया जाय।

**प्रतिवादीगण**

**जरिये**

**अधिवक्ता**

**स्थान…………**

**तारीख………..**

**शपथपत्र**

……………….लगभग उम्र………………वर्ष...................व्यवसाय............................... निवासी

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

के मामले में.............

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

मै ऊपर नामित शपथकर्ता निम्नलिखित रूप में शपथ पर एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान एवम् कथन करता हूँ

1. यह कि आदेश 39, नियम 1 तथा धारा 151 सि0 प्र0 सं0 के अधीन आवेदन पत्र का साथ दिये जा रहे उत्तर की अन्तर्वस्तुओं तथा लिखित कथन को प्रतिवादी पढ़ा गया और समझाया गया है। उसमें प्रस्तुत किए गये तथ्यों के कथन शपथकर्ता की जानकारी में सत्य एवम् सही है।

**शपथकर्ता**

**सत्यापन**

......में तारीख........... को यह सत्यापित किया गया कि ऊपर शपथपत्र की अन्तर्वस्तुएं मेरी जानकारी में सत्य है। इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है और कोई भी महत्वपूर्ण बात उससे छिपायी नही गयी है।

**शपथकर्ता**